सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, हिन्दी अनुभाग
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन
न्हावा शेवा, ता .उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र 400707

फा संख्या : S5/जनरल-/V/05/2020 हिन्दी-II

दिनांक : 06.09.2021

-: **परिपत्र / CIRCULAR** :-

विषय :सरकारी कामकाज तथा टिप्पण एवं आलेखन मूलरूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।
Sub : Incentive Scheme for performing official work and noting / drafting originally in Hindi.

****

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं भारत सरकार के राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार, सीमाशुल्क मुंबई अंचल-II में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से हिन्दी में किए जा रहे टिप्पण एवं आलेखन कार्य (original noting and drafting in Hindi), रजिस्टरों में प्रविष्टि, लेखा आदि (Entries in the register, accounting work in Hindi) कार्य करने हेतु वर्ष 2021-22 (1अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक) की अवधि के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 2000/-

पात्रता / Eligibility :

(i) 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के सभी अधिकारी/कर्मचारी जो कि एक वर्ष में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन, रजिस्टरों में प्रविष्टि, लेखा कार्य आदि कार्य करते हुए कम से कम हिन्दी के 20 हजार शब्द लिखते हों और 'ग' क्षेत्र के सभी अधिकारी/कर्मचारी जो कि उक्त काम करते हुए एक वर्ष में हिन्दी के कम से कम 10 हजार शब्द लिखते हों।

(ii) मूल्यांकन हेतु 100 अंक में से 70 अंक हिन्दी में काम की मात्रा एवं 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे। जिन प्रतिभागियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया या असमिया होगी, उनको 20% तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।

क-क्षेत्र -	UP, MP, Delhi, Himanchal Pradesh, Rajasthan, Haryana, Bihar, Jharkahand, Uttarakhand, Chattisgarh, Andaman & Nicobar island
ख -क्षेत्र-	Maharashtra, Gujrat, Punjab, Chandigarh UT
ग-क्षेत्र -	North-Eastern states, Goa, Orissa, Kerala, WB, Telangana, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Karnataka, J&K, Lakshyadeep

अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिन्दी के कार्यों का लेखा-जोखा रखने संबन्धित निर्देश :

प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रोफ़ार्मा में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा जोखा रखेगे और प्रत्येक सप्ताह अनुभाग प्रमुख द्वारा उस रेकॉर्ड का सत्यापन करके प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। अंत में 01 वर्ष के उपरांत मूल्यांकन समिति द्वारा कार्यों का मुयल्ह्याकन करके पुरस्कार निर्धारित किए जाएँगे। हिन्दी अधिकारी, हिन्दी आशुलिपिक/टंकक इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

(जी. मणिगण्डासामी)
संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क

संलग्नक : प्रोफ़ार्मा

प्रतिलिपि : सभी अधिकारीगण / सभी अनुभाग – सूची के अनुसार

प्रारूप

दिनांक : से प्रारम्भ

श्री/श्रीमती/सुश्री ____________________(पदनाम)______________अनुभाग /आयुक्तालय________/__________ का हिन्दी में मूल कार्य का विवरण

क्रम Sr. No.	तिथि Date (सप्ताहवार) (Week ending)	फ़ाइल नंबर, रजिस्टरों का शीर्षक, जिन पर हिन्दी का कार्य किया गया। (सप्ताहवार विवरण) Total No. of files & registers wherein work was done in Hindi	हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या No. of words used in note/ draft written in Hindi	हिन्दी में किए गए अन्य सरकारी कार्य Other items of works done in Hindi		सप्ताह के दौरान कुल शब्द No. of total words during week ending	अनुभाग प्रमुख द्वारा सप्ताह के अंत में सत्यापन के बाद हस्ताक्षर Signature of senior officer(once in a week)
				संक्षिप्त ब्योरा Brief description	शब्दों की संख्या No. of words		

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, हिन्दी अनुभाग
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन
न्हावा शेवा, ता .उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र 400707

फा संख्या : S5/जनरल-/V/05/2020 हिन्दी-II

दिनांक : 06.09.2021

-: परिपत्र/CIRCULAR :-

विषय : अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना।
Sub : Incentive Scheme for dictation in Hindi by the Officers –Reg.

****

भारत सरकार, राजभाषा विभाग के का. ज्ञा. संख्या II/12013/1/89 रा.भा. (क-2) दिनांक 6.03.1989 एवं 12013/01/11 रा.भा.(नीति) दिनांक 14.09.2016 के निर्देशानुसार सीमाशुल्क मुंबई अंचल,II में उच्च अधिकारियों को हिन्दी के अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष के दौरान एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है।

'क' एवं 'ख' क्षेत्र के सभी अधिकारियों में से किसी एक (01) अधिकारी को पुरस्कार - रु. 5,000/-

'ग' क्षेत्र के सभी अधिकारियों में से किसी एक (01) अधिकारी को पुरस्कार - रु. 5,000/-

पात्रता / Eligibility :

ऐसे सभी अधिकारी जो समान्यतः हिन्दी में डिक्टेशन देते हैं या जिनको आशुलिपिक उपलब्ध हो, वे इस प्रोत्साहन योजना में शामिल हो सकते हैं।

अधिकारी स्वयं अपने डिक्टेशन का रेकॉर्ड संलग्न प्रपत्र के अनुसार रखेगे या उनके आशुलिपिक/स्टेनो उस ब्योरे को वर्ष भर रखेंगे। विभागाध्यक्ष या मूल्यांकन हेतु गठित की गई समिति इस योजना के लिए स्वयं ही न्यूनतम शब्द सीमा निर्धारित कर सकती हैं। मूल्यांकन हेतु गठित समिति ही पुरस्कार का निर्धारण करेगी।

6/9/21

(जी. मणिगण्डासामी)
संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क

संलग्नक : प्रोफ़ार्मा

प्रतिलिपि : सभी अधिकारीगण- सूची के अनुसार

प्रोफ़ार्मा

श्री/श्रीमती/सुश्री ______________________________(पदनाम)_________________________ का हिन्दी

में दिये गए डिक्टेशन का वार्षिक विवरण

(Annual statement of Dictation given in Hindi)

क्रम संख्या एवं दिनांक Sr. No. & Date	डिक्टेशन से लिखे गए शब्दों की संख्या Number of words written from Dictation	फ़ाइल संख्या File No.	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई हो) Remarks (if any)